

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डीन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार मुनकर आर.ए.एस

मु०नं० 57/2014

तारीख रजु- 04.07.2014

कुसुम उर्फ मल्ला आदि बनाम बीपीसिंह बगै०

प्रार्थनापत्र अर्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

20.09.2019 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं आया।
बान-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है ना ही कोई अवेदन
पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
खेलाफ गैरसायलान का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उप जिला कलक्टर
हिण्डीन